HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
ESTABLISHMENT SECTION
OFFICE ORDER

No. 5615 /Establishment: Allahabad: Dated: November 26 , 2024

In view of the letter No. 2385/Saat-Nyay-1-2024-82/2017 dated 25.11.2024 of Deputy Secretary, Nyay Anubhag-1 (Ucch Nyayalaya), Government of Uttar Pradesh, regarding celebration of "Constitution Day" on 26 Novermber 2024, i.e. today, on the occasion of "Amrit Kaal of Independence", all the Officers/ Officials in the Establishment of this Hon'ble Court and its Bench at Lucknow, are hereby directed for reading of "The Preamble to the Constitution of India", **today at 04:00 P.M.**

Compliance of the aforementioned order must be ensured in letter and spirit.

26/11/24

REGISTRAR (J) (S&A)/ E

ALLAHABAD

संख्या– 2385 / सात–न्याय–1–2024–82 / 2017

प्रेषक,

रमाकान्त शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2– महाधिवक्ता,
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3– महाप्रशासक एवं राज्य न्यासी,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

4– विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
विधि कोष्ठक, मा0 उच्चतम
न्यायालय, तेज बिल्डिंग, 3–बी
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

5– विशेष सचिव एवं अपर विधि
परामर्शी, विधि कोष्ठक, मा0 उच्च
न्यायालय, इलाहाबाद।

6– निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं
अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 गोमती
नगर, लखनऊ।

7– सचिव, राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण,
जवाहर भवन, लखनऊ।

8– निबन्धक, राज्य लोक सेवा अधिकरण,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

न्याय अनुभाग–1(उच्च न्यायालय) लखनऊः दिनांक 25 नवम्बर, 2024

विषयः–संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2024 को स्वतंत्रता के अमृत काल के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष–पर्यन्त विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, संसदीय कार्य अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–460 / 90–सं0–2–2024, दिनांक 20.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। इस हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2024–2025 में वर्ष पर्यन्त संविधान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। भारत के संविधान को अंगीकृत किये जाने की तिथि 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उक्त अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उक्त कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 26.11.2024 को प्रातः 9.30 बजे से प्रारम्भ होंगे तथा मुख्य कार्यक्रम लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित किया जायेगा। जिसकी अध्यक्षता मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की जायेगी। उक्तरोक्तानुसार संविधान दिवस के अवसर पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त Email द्वारा

भवदीय,

(रमाकान्त शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या 23025 /सात-न्याय-1 -24

संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2024)

संख्या- 460 /90-सं-2-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

2-समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

21-11-2024
(विनोद सिंह रावत)
प्रमुख सचिव
न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन

संसदीय कार्य अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक 20 नवम्बर, 2024

विषय: संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2024 को स्वतंत्रता के अमृत काल के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। इस हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में वर्ष-पर्यन्त संविधान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है जिसके लिए संसदीय कार्य विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। भारत के संविधान को अंगीकृत किये जाने की तिथि 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है । विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उक्त अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उक्त कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 26-11-2024 को प्रात: 9:30 बजे से प्रारम्भ होंगे तथा मुख्य कार्यक्रम लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की जायेगी। उक्त कार्यक्रम में समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वयं प्रतिभाग करते हुए अपने विभाग में कार्यरत अनु सचिव एवं उससे उच्चतर अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाय। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम की समस्त व्यवस्था (मंच की साज-सज्जा,मंच संचालन एवं सूक्ष्म जलपान एवं सचिवालय के समस्त भवनों में प्रकाश की व्यवस्था) सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी । शासन स्तर पर आयोजित किए जा रहे संविधान दिवस के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के सरकारी कार्यालयों,

6669/LR 22/11/2024

SO-1

22/11/2024

22/11/24

नगरीय निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित किया जाय। कार्यक्रम में संविधान से सम्बन्धित वृत्त चित्र का प्रसारण भी किया जाय।

2- प्रदेश के समस्त जनपदों में उक्त अवसर पर प्रात: 9:30 बजे जनपद के प्रभारी माननीय मंत्री/माननीय वरिष्ठ सांसद/जनपद के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में तथा प्रदेश के समस्त नगर निकायों/ जिला पंचायतों/ क्षेत्र पंचायतों/ ग्राम पंचायतों में क्रमश: महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में उनके कार्यालयों/सभाकक्षों में एवं प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालय के अधिवक्ता सभागारों में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा अधिवक्ताओं के साथ (न्याय विभाग के माध्यम से) बाबा साहब डा० भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा/ छायाचित्र के समक्ष संविधान की प्रति के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाय। इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाय।

3- इस अवसर पर संविधान की विशिष्टताओं एवं उनमें वर्णित मौलिक कर्तव्यों पर प्रदेश के सरकारी/निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पूर्वान्ह की अवधि में प्रधानाचार्य अथवा वरिष्ठ शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष उदबोधन देकर प्रस्तावना का वाचन किया जाय तथा अपरान्ह की अवधि में भारत के संविधान एवं उसमें उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों पर प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए वाद-विवाद एवं पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय। *इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 03 छात्र/छात्राओं को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाय।* प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) की समस्त कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा समस्त छात्र/ छात्राओं सहित पूर्वान्ह की अवधि में संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं अपरान्ह की अवधि में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय।

4- संविधान के अमृतकाल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विशिष्ट तिथियों यथा- दिनांक 26 नवम्बर, 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को संविधान के मूल्यों /आदर्शो/ मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाये जाने वाले कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाय। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13-01-2025 से दिनांक 26-02-2025 तक जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है। उक्त अवधि में महाकुम्भ मेला क्षेत्र में उपयुक्त स्थल पर संविधान गैलरी का निर्माण किया जाय, जिसमें संविधान सभा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्तियों/ महापुरूषों के चित्र एवं उनके विशिष्ट उदबोधन को वृत्त चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाय। इस हेतु प्रमुख सचिव, विधान सभा, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, प्रमुख सचिव, विधायी एवं प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा भी वांछित सहयोग प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जाती है ।

5- संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाय। प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियो क्लिप की प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा संसदीय कार्य विभाग की ई-मेल आईडी psparupgov@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाय।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संविधान दिवस (दिनांक 26 नवम्बर,2024) के अवसर पर उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए अपने अधीनस्थों को भी अपने स्तर से निर्देशित करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Manoj 20.11.24

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या- (1)/90-सं-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मंत्रि मण्डल सचिव, भारत सरकार।

2- पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3-प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन।

4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।

6- निजी सचिव, मा० संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

7- निजी सचिव,प्रमुख सचिव, विधान सभा।

8- निजी सचिव,प्रमुख सचिव, विधान परिषद ।

9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे०पी० सिंह-।।)
प्रमुख सचिव।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD